

फर्द अहकाम

मिठोई

27

(नियम 13)

KMS

2020/000203/12-01-2021

31 (General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

निबंलकोट

बनाम रवरथाराय वत्स उमाशम पाट

आपनी धरवाली की दावी

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
रान्

मु.न. 27/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-9-2020	<p>पटवारी हल्का निबंलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा पनीवाली धरवाली के खसरा संख्या 220/2 रकबा 0.0405 किस्म भूमि राज. भू. राजस्व पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-9-2020 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
16-9-2020	<p>पत्रावली माह पेश हुई गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल के जवाब हेतु अवसर दिए जाकर पत्रावली दिनांक 30-9-2020 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	


30-9-2020

पत्रावली भाल पेश हुई। गैर सामल्य अनुपस्थित।
गैर सामल्य के जवाब हेतु अवलत डिग जाकर
पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को पेश है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भाल पेश हुई। गैर सामल्य अनुपस्थित।
गैर सामल्य के भतिकरों मन्ने हुए पत्रावली
फैलक सुगत है। निर्णय मन्ने लेखि
जाकर शासिक पत्रावली है। निर्णय सुके
अभ्यालय के सुनाया जाय। पत्रावली फैलक
सुगत हेकर शिखि उपर है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर